एक निंदनीय फैसला

प्रशांत भूषण

आखिरकार हमें उच्चतम कोटि के विशेषज्ञों ने जता दिया है। उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश श्री ए.एस. आनंद और न्यायमूर्ति श्री बी.एन. किरपाल का फैसला है: बड़े बांध पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं; वे विस्थापितों के हालात बेहतर बनाते हैं; और दरअसल किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि के लिए अपरिहार्य हैं।

सरदार सरोवर परियोजना पर दिए गए फैसले में ये महानुभाव कहते हैं - ''अनुभव यह नहीं जतलाता कि बड़े बांधों के निर्माण में लगी लागत के नतीजे लाभप्रद नहीं होते हैं या फिर इससे इकॉलॉजी और पर्यावरण को किसी भी तरह का ह्रास हुआ है। इसके विपरीत बड़े बांधों के निर्माण से इकॉलॉजी समृद्ध ही हुई है।'' वे कहते हैं - ''याचिका दायर करने वाले एक भी ऐसी मिसाल नहीं दे पाए हैं, जो साबित कर सके कि एक बांध के निर्माण से कुल मिलाकर पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।''

देश के हर व्यक्ति को, जिसमें न्यायाधीश भी शामिल हैं, इन मामलों पर अपने मत रखने का हक है। लेकिन दुख की बात तब है जब ऐसे व्यक्तिगत मत किसी न्यायालय के फैसले के रूप में परोसे गए हैं। ऐसा इसलिए कि एक न्यायाधीश के लिए ज़रूरी है कि वह मुद्दों का निर्णय उसके सामने रखे गए ठोस प्रमाणों के आधार पर करे, न कि अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की बिनाह पर।

वे आगे कहते हैं कि अनचाहे विस्थापन के अधिकांश मामलों में विस्थापन के बाद 'विस्थापितों' के हाल बेहतर ही रहे हैं। ''एक सही तरीके से तैयार की गई राहत व पुनर्वास योजना विस्थापितों के जीवन स्तर को बेहतर ही बनाएगी। मसलन, भाखरा नंगल बांध, नागार्जुन सागर बांध, टिहरी, भिलाई इस्पात कारखाना, बोकारो व बाला लौह इस्पात कारखाना तथा ऐसी ही कई अन्य विकास परियोजनाओं के आसपास बसे गांवों के निवासी उन लोगों के मुकाबले बेहतर स्थिति में हैं, जिनके गांवों के पास विकास की कोई परियोजनाएं नहीं आईं। यह उचित नहीं कि विकास से अछूते गांवों के लोग व आदिवासी, विज्ञान और तकनीक की बदौलत पाए बेहतर स्वास्थ्य और आला दर्जे के जीवन के लाभों को चखे बगैर उन्हीं परिस्थितियों में बने रहें।''

तो अब देश के सर्वोच्च न्यायाधिपतियों ने बड़े बांधों के गुणों पर अपने ज़ोरदार समर्थन का ठप्पा लगा दिया है। देश के हर व्यक्ति को, जिसमें न्यायाधीश भी शामिल हैं, इन मामलों पर अपने मत रखने का हक है। लेकिन दुख की बात तब है जब ऐसे व्यक्तिगत मत किसी न्यायालय के फैसले के रूप में परोसे जाएं। ऐसा इसलिए कि एक न्यायाधीश के लिए ज़रूरी है कि वह मुद्दों का निर्णय उसके सामने रखे गए ठोस प्रमाणों के आधार पर करे, न कि अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की बिनाह पर। यहां ये कथन एक ऐसे मामले पर किए गए हैं जहां व्यापक स्तर पर बड़े बांधों की वांछनीयता और उनकी व्यावहारिकता मुद्दा नहीं था और जहां न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को बार बार निर्देशित किया था कि वे इस बाबत कोई भी दलील न रखें। उतनी ही व्यथित करने वाली बात यह है कि न्यायाधीशों के समक्ष इन तथ्यों पर किसी भी तरह की प्रमाण-प्रस्तुति के बगैर ये अधिकथन दिए गए हैं।

रज़ामंदी के बिना विस्थापित किए गए लोगों की समस्याओं और बांध के जलग्रहण क्षेत्र, कमान क्षेत्र व बांध के बाद वाली नदी के इलाकों की इकॉलॉजी पर पड़ने वाले दूरगामी दुष्प्रभावों के विषय में बढ़ती समझ के चलते बड़े बांधों का मुद्दा, पिछले कुछ वर्षों में अत्यन्त विवादास्पद हो चला है। अधिकांश विकसित देशों ने बड़े बांधों का निर्माण बन्द कर दिया है; कुछ को तो ढहाना भी शुरू कर दिया है। हाल ही में विश्व बैंक ने दुनिया भर में बड़े बांधों के औचित्य का पुनरावलोकन करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग का गठन किया। वर्ल्ड कमीशन ऑन